भारतीय संस्थानो (सार्वाजनिक एवं निजी) में अनुसंधान प्रयोग के लिए सामग्री हस्तांतरण समझौता।

प्रस्तावना

जैव विविधता संधि 1993¹ (सी.बी.डी.) का हस्ताक्षरी होने से भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 **(बी.डी.ए.)²** कानून बनाया तथा जैव विविधता नियम 2004 को अधिसूचित किया। जैव संसाधनों की प्राप्ति अब बी.डी.ए., 2002 द्वारा नियंत्रित की जाती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे भा.कृ.अ.प. के नाम से जाना जाता है, के तत्वधान में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का उद्देश्य नेटवर्क प्रणाली में आनुवंशिक संसाधनों का संग्रह, संरक्षण, लक्षण वर्णन, मूल्यांकन एवं विनिमय है। ब्यूरो देश के अनुसंधान कर्ताओं द्वारा जननद्रव्य के समुचित उपयोग को बढा़वा देता है, जिससे जननद्रव्य का प्रभावी उपयोग किया जा सके।

इस बिन्दु पर पुनः जोर दिया गया है कि आनुवंशिक संसाधन सभी सुधार कार्यक्रमों के लिए आवश्यक आधार सामग्री हैं, जो खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन करते हुए राष्ट्रीय नियमों के अनुसार उनके विनिमय एवं उपयोग को बढा़वा देने की आवश्यकता है।

इस तथ्य को महत्व देते हुए इस समझौते के तहत आनुवंशिक संसाधनों की आपूर्ति पूरी तरह अनुसंधान के लिए होगी तथा कथित उद्देश्य से अलग जाने की स्वीकृति नही है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एन.ए.आर.एस.) से संबंधित संस्थानों एवं राष्ट्रीय सिक्रय जननद्रव्य स्थलों (एन.ए.जी.एस.) में उपलब्ध जननद्रव्यों की आपूर्ति साम्रगी हस्तांतरण समझौते (एम.टी.ए.) के अन्तर्गत होगी। बी.डी.ए. के भाग 3(2) 2002³ के अन्तर्गत आने वाले निजी संस्थान राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) द्वारा स्वीकृति पश्चात सामग्री हस्तांतरण समझौतो पर हस्ताक्षर के पश्चात जननद्रव्य प्राप्त कर सकते हैं।

पक्षों के मध्य सामग्री हस्तांतरण समझौता

सोसाइटी अधिनियम पक्षों के बीच सामग्री हस्तांतरण करार (1860 का अधिनियम **xx1**) के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी भा.कृ.अ.प. कृषि भवन, नई दिल्ली — 110001 जिसमें इसके उत्तराधिकारी, सहभागी सिम्मिलित हैं, प्रथम पक्षकार हैं।

टितीग एथ टोने के नाते (यामगी गातकर्ता)

द्वितीय पक्ष होने के नाते (सामग्री प्राप्तकर्ता) सामग्री का विवरण संलग्न

^{1.} रियो डि जेनेरियो में सं. एन.ए 92–7807 को हस्ताक्षरित जैव विविधता संधि जून, 1993 को लागू की गई (https/www.cbd.in)

^{2.} जैव विविधता अधिनियम २००२ (२००३ का १८)

^{3.} वे व्यक्ति जिनसे उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अनुमोदन लेना अपेक्षित होगा निम्निलखित हैं अर्थात् :- (क) वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नही है: (ख) भारत का ऐसा नागरिक जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा के खंड (30) में पिरभाषित अनिवासी है। (ग) ऐसा निगमित निकाय संगम या संगठन जो (i) भारत में निगमित निकाय या रिजस्ट्रीकृत नही है या (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में निगमित या रिजस्ट्रीकृत है जिसमें उसकी शेयर पूंजी या प्रबंध में कोई गैर भारतीय भागदारी है।

मैं / हम एम.टी.ए. की निम्नलिखित शर्तो से वचनबद्ध है एवं प्रमाणित करते हैं

- (i) जननद्रव्य सामग्री (सामाग्रियों) को मेरे / हमारे सीधे नियंत्रण / देखरेख में केवल अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाएगा तथा व्यावसायिक उद्देश्यों / लाभ कमाने के लिए इसका प्रयोग नही किया जाएगा। प्राप्त की गई जननद्रव्य सामग्री का रासायनिक या औषधीय एवं गैर— खाद्य अथवा औद्योगिक प्रयोग नही किया जाएगा।
- (ii) भा.कृ.अ.प. द्वारा प्रदत्त समस्त सूचना एवं सामग्री गोपनीय होगी। प्राप्तकर्ता को सामग्री एवं सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सहमति प्रदान करनी होगी।
- (iii) इस समझौते के तहत कर्त्ता प्राप्त की गई सामग्री या उससे संबंधित सूचना पर बौद्धिक संपदा अथवा किसी अन्य अधिकार का दावा नहीं करेगा।
- (iv) बौद्धिक एवं अन्य संपदा के अधिकारों से सुरक्षित आनुवंशिक संसाधनों की उपलब्धि वर्तमान राष्ट्रीय नियमों के अनुसार होगी ⁵।
- (v) प्राप्त / प्रयोग की गई समाग्रियों के यौगिक के सदंर्भ में बौद्धिक संपदा सुरक्षा अथवा लाभ का बंटवारा, जहां भी लागू हो, जैवविविधता अधिनियम 2002 एवं ए.बी.एस. नियामक 2014⁸ के अनुसार होंगे।
- (vi) यदि प्राप्त जननद्रवय व्यावसायिक प्रयोग के लिए किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा रहा है/तो भा.कृ.अ.प. / कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग (डेयर), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालाय, भारत सरकार के माध्यम से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) से स्वीकृती लेनी होगी।
- (vii) जैव विविधता प्राधिकरण भारत की लिखित स्वीकृत के बिना प्राप्तकर्त्ता सामग्री से उत्पन्न उत्पाद या संबंधित सूचना पर कोई बौद्धिक संपदा अधिकार का दावा नहीं करेगा।
- (viii) इस समाग्री के आधार पर उत्पादों का व्यावसायीकरण एन.बी.ए./संबंधित राज्य जैवविविधता बोर्डी (एस.बी.बी.) की पूर्ण अनुमित पर आधारित होगा। इस प्रकार की स्वीकृति केवल आई.सी.ए.आर/डेयर के माध्यम से ली जाएगी सामग्री के मालिक/विकास कर्त्ता के साथ लाभांश बंटवारे को आपसी सहमती पर आधारित शर्ती पर एक प्रथक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) तैयार किया जाएगा 678।
- (ix) प्राप्तकर्त्ता को सामग्री के प्रयोग का स्पष्ट रूप में मूल पहचान एवं स्त्रोत को सभी प्रकाशनों में श्रेय देना होगा।
- (x) प्राप्तकर्ता वार्षिक आधार पर प्राप्त समाग्री के अनुसंधान के परिणामों पर फीड बैक प्रदाता संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

⁵ पेटेंट अधिनियम २००५, पादप किस्म सुरक्षा एवं किसान अधिकार अधिनियम, २००१

⁶ भा.कुअ.प. (2006) बौद्धिक संपदा प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण / व्यावसायी करण पर भा.कुअ.प. के दिशा निर्देश, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली

⁷ जैव संसाधन एवं सूचना सरकार द्वारा प्रायोजित संस्थानों एवं अन्य देशों के संस्थानों. एस.ओ. 19 पप (ई) दिनांक 08.11.2006.

⁸ जैविक संसाधनों तक पहुँच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बांटना विनिमय, 2014

- (xi) प्राप्तकर्त्ता अलग अलग मामले के आधार पर प्राप्त सामग्री उपयोग की गई के आवगमन का प्रसंस्करण शुल्क / प्रभार देने के लिए सहमत है।
- (xii) अनुसंधान के पूरा होने / स्थगित होने अथवा निरस्त होने की स्थिति में प्राप्त सामग्री जहां भी उपलबध हो, तो उचित उपाय करके संरक्षित किया जाएगा अथवा आपूर्ति के पास जमा किया जाएगा।
- (xiii) एम.टी.ए. गैर आंबटित एवं गैर हस्तांणीय है।
- (xiv) प्रत्येक विवाद, मतभिन्नता प्रश्न जो पक्षों अथवा उनके कार्यरत व्यक्ति के बीच कमी भी उत्पन्न हो सकता है, जो समझौते या विषय वस्तु को लेकर हो सकता है, तरीके से निपटाया जाएगा। यदि मामला सौहादपूर्ण तरीके से निपटाया नही जा सकता है/तो विवाद सामग्री हस्तांतरण समझौते पर पक्षों के बीच किसी विवाद के होने पर मामला, सचिव डेयर, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए के एकल विवाचक के पास जाएगा। एकल उडान विवाचक का निणर्य अन्तिम एवं बाध्य होगा। विवाचक कार्यवाहक को विवाचक एवं समझौता अधिनियम, 1996 द्वारा संचालित किया जाएगा। विवाचक कार्यवाही नई दिल्ली में होगी।
- (xv) प्राप्तकर्त्ता द्वारा सामग्री के दुरूपयोग अथवा संभावित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए प्रयोग किए जाने पर है जैसा कि एम.टी.ए के विशेष (i) में वर्णित है प्राप्तकर्ता को जैवविविधता अधिनियम, 2002 में भाग 55 में वर्णित हर्जाना देने के लिए बाध्य होगा।

परिभाषाएं

इस समझौते में उपयुक्त शब्दों से यह अर्थ है:

"आनुवंशिक संसाधनों" का अर्थ है वास्तविक अथवा संभावित मूल्य की जननद्रव्य सामग्री

उचित और साम्यापूर्ण फायदों में हिस्सा बंटाना से धारा 21 के अधीन राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अवधारित फायदों में हिस्सा बंटाना अभिप्रेत है:

जननद्रव्य से अर्थ है संपूर्ण पादप, पशु, क्रीय,मत्स्या, फंफूदी, माइकोव, अथवा, बीज सहित प्रजनक, वन्स्पित अंश ऊतक संवर्धन, अविकसित, मून, अण्डाणु, वीर्य परिणाम आबादी, संनर्धन, कोशिका क्रम जीन, डी.एन.ए, आधरिक क्रम अदि जिन्हें जैसे भी उपर्युक्त हो मंडारगृह में रखा जाता है। अथवा जंगल से एकत्रित किया जाता है। डिचत कृषि जैव विविधता अवयव में सुधार के लिए।

मूल्यवर्धित उत्पादों से ऐसे उत्पाद अभिप्रेत हैं जिनमें पौधों या पशुओं के अमान्यकरणीय और वस्तुत अपृथक्करणीय रूप में भाग या उनके तत्व अंतर्विष्ट हो सकते है।

जननद्रव्य जैव संसाधनों से पौधे जीव—जन्तु और सूक्ष्म जीव या मूल्य सहित उनके आनुवंशिक पदार्थ और उपोत्पाद मूल्यवर्धित उत्पादों को छोड़कर अभिप्रेत है किन्तु इसके अन्तर्गत मानव आनुवंशिक पदार्थ नही हैं।

"व्यावसायी करण" का अर्थ है अर्थिक लाभ के लिए किसी पदार्थ अथवा पदार्थों को खुले बाजार में बेचना तथा व्यावसायी करण का अर्थ इसी के अनुरूप है।

सहमत एवं स्वीकृत प्रतिलिपि में हस्ताक्षर के लिए

प्राप्तकर्ता	प्रदानकर्ता
नाम	नाम
पद नाम	पद नाम
संस्था / संगठन	संस्था / संगठन
पिन कोड सहित पूरा पता	पिन कोड सहित पूरा पता
फोन फैक्स ई-मेल	फोन फैक्स ई–मेल
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
दिनांक	दिनांक
प्राधिकृत संस्थागत अधिकारी	प्राधिकृत संस्थागत आधिकारी
·	
नाम	नाम
पद नाम	पद नाम
संस्था / संगढन	संस्था / संगठन
पिन कोड सहित पूरा पता	पिन कोड सहित पूरा पता
फोन फैक्स ई-मेल	फोन फैक्स ई-मेल
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
कार्यालय सील	कार्यालय सील

सामग्री हस्तांतरण समझौते क अन्तर्गत प्रदत्ता आनुवंशिक संसाधनों की सूची एवं विवरण।

- 1. आनुवंशिक संसाधनों का प्रकार (पादप/पशु/मत्सय/माइक्रोब आदि।
- 2. सामान्य एवं वैज्ञानिक नाम
- 3. प्रजनक का प्रकार (संसाधनों के प्रकार पर निर्भर)
- 4. नमूनों की संख्या
- 5. नमूनों का विवरण
- 6. मांगी गई सामाग्री की मात्रा (प्रति नमूना)
- 7. उद्देश्य (जांच/प्रजनक/मूल्यांकन/गुणन/अन्य (कृप्या निर्देष्ट करें)
- 8. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमोदित स्वीकृति की प्रति (यदि लागू में)

	\rightarrow		\sim	
प्राप्तकत्ता	ਨ	टग्नाथर	टिनाक	
7117197111	٩,	८ । ।।।५। ।	 14.1147	

Material Transfer Agreement for Research Use within Country for Public and Private Entities

PREAMBLE


Being signatory to the Convention on Biological Diversity, 1993¹ (CBD), the Government of India enacted the Biological Diversity Act, 2002 (BDA) hereinafter referred to as BDA, 2002 and notified the Biological Diversity Rules, 2004. The access to biological resources of India is now regulated by BDA, 2002.

Whereas, the National Bureaux of Genetic Resources under the aegis of Indian Council of Agricultural Research² hereinafter called ICAR have the mandate for collecting, conservation, characterization, evaluation and exchange of genetic resources (GR) in a network mode, the Bureaux encourage the researchers in the country to make use of germplasm for their effective utilization. Reiterating the fact that GR are the essential raw materials for all improvement programmes and, hence, extremely important for food and nutritional security, their exchange and utilization need to be promoted in accordance with national laws and regulations and in compliance with international agreements.

Emphasizing the fact that the purpose of supply of GR under this agreement would be solely for research and no deviation from the proposed objectives is permitted. Access shall be provided for the germplasm available with the National Agricultural Research System (NARS), which is duly designated by concerned institute/ National Active Germplasm Sites (NAGS). Such exchange shall be done under the conditions of the following Material Transfer Agreement (MTA). The private entities falling under Section 3 (2) of BDA, 2002³ can access germplasm after signing the MTA, subject to approval of National Biodiversity Authority (NBA)⁴.

MTA agreed between

ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-110001, a Society registered under the Registration of Societies Act (Act XXI of 1860) which shall include its successors or assignees) being the First Party (Provider of the Material)



^T Convention on Biological Diversity signed at Rio deJanerio, vide NA92-7807, dated 5th June, 1992 and came into force on 29th December, 1993 (https://www.cbd.int/)

² http://www.icar.org.in/en/node/325

Entities listed at Section 3 (2) of Biological Diversity Act: a person who is not a citizen of India; (b) a citizen of India, who is a non-resident as defined in clause (30) of section 2 of the Income tax Act, 196 1; (c) a body corporate, association or organization- (i) not incorporated or registered in India; or (ii) incorporated or registered in India under any law for the time being in force which has **any** non-Indian participation in its share capital or management.

⁴ National Biodiversity Authority established under sub-section 1 of section 8, BDA, 2002

I/We agree to abide by the following terms of the MTA and certify that:

- i) The germplasm material and associated knowledge transferred herein as listed in annexure shall be used only for the purpose of research under my/ our close supervision and will not be used for commercial purposes or for profit making whatsoever. The germplasm material accessed shall not be used for chemical, pharmaceutical and/ or other non-food/feed, industrial uses.
- ii) All the information and the material supplied by ICAR shall be made available to the recipient in confidence. The recipient agrees to maintain the confidential status of the material and the information.
- iii) The Recipient shall not claim any intellectual property or other rights on the material provided and associated information under this agreement 'in the form received.'
- iv) Access to GR protected by intellectual and other property rights shall be consistent with the extant national laws⁵.
- v) The intellectual property protection or benefit sharing in respect of derivatives of the material(s) received/ accessed, wherever applicable, shall be as per the Biological Diversity Act 2002 and Guidelines on ABS Regulations, 2014⁸.
- vi) Permission from National Biodiversity Authority (NBA) shall be sought through ICAR/ Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (MoAFW), Government of India, if the accessed germplasm is intended to be transferred to any third party for commercial utilization
- vii) The recipient shall not claim any intellectual property right over the products derived from the material accessed including its related information and knowledge without prior written approval of the NBA, India.
- viii) Commercialization of any product(s) based on this material shall be undertaken with the prior approval of NBA/ concerned State Biodiversity Boards (SBBs). Such permission shall be sought only through ICAR/ DARE. A separate Memorandum of Agreement (MoA) shall have to be entered into with conditions of mutually agreed terms for benefit sharing with the owner/ developer of the material as per ICAR⁶ and NBA Guidelines^{7,8}.
- ix) The recipient agrees to acknowledge explicitly the name, original identity and source in all publications brought out from the work carried out from the accessed material.
- x) The recipient agrees to supply the feedback information on the performance/utilization/ research outcome of the material to the provider institute depending on crop on a seasonal/yearly basis.
- xi) The recipient agrees to pay the handling and processing charges for material received/accessed as decided on case-to-case basis.

⁵ Patent Act 2005, The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001

⁶ ICAR (2006). ICAR Guidelines for Intellectual Property Management and Technology Transfer/ Commercialization, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.

⁷ Guidelines for International Collaboration Research Projects involving Transfer or Exchange of Biological Resources or information relating thereto between institutions including Government sponsored Institutions and such Institutions in other countries S.O.1911 (E) dated 08.11.2006

⁸ Guidelines on Access to Biological Resources and associated Knowledge and Benefit Sharing, 2014.

- xii) On completion/ suspension/ termination of the research involving, the material accessed, wherever available shall be conserved adopting suitable measures including deposition with the supplier
- xiii) The MTA is non-assignable and non-transferable.
- xiv) Every dispute, difference, or question which may at any time arise between the parties hereto or any person claiming under them, touching or arising out of or in respect of this agreement or the subject matter thereof, shall be amicably settled between the parties. In case the same is not amicably settled, the dispute shall be referred to the Sole Arbitrator to be appointed by the Secretary DARE, Government of India. The decision of the Sole Arbitrator shall be final and binding on the parties. The seat of the Arbitration shall be at New Delhi, India and the proceedings shall be governed by the Arbitration and Conciliation Act, 1996 as amended from time to time and the substantive Indian Law will apply.
- xv) In case of misuse/transfer of material by the recipient and use other than intended purpose, as stated under Clause (i) of MTA, the recipient shall be liable for penalties as defined under Section 55 of BDA, 2002.

Agreed and Accepted (To be signed in duplicate)

Recipient	Provider
Name:	Name: Dr Sunil Archak
Designation:	Designation: Officer-in-Charge,
Organization:	Germplasm Exchange and Policy Unit
Full Address	Organization: ICAR-National Bureau of Plant Genetic
with PIN Code:	Resources, New Delhi 110012
Phone/ Fax/ E -mail:	Phone: 11-25802785; Email:
	nbpgr.exchange@icar.gov.in
Signature:	Signature:
Date:	Date:
Authorized Institutional Official	Authorized Institutional Official
Name:	Name: Dr GP Singh
Designation:	Designation: Director
Organization:	Organization: ICAR-National Bureau of Plant Genetic
Full Address	Resources, New Delhi 110012
with PIN Code:	Phone: 011-25843697 Email:
Phone	director.nbpgr@icar.gov.in
Email:	
Signature:	Signature:
Date:	Date:
Official Seal	Official Seal

DEFINITIONS

In this Agreement, the expressions set out below shall have the following meaning:

"Benefit sharing," means sharing of benefits arising from use of genetic resources.

"Germplasm" means whole plant, animal, insect, fish, fungi, microbes or in parts, and their propagules including seeds, vegetative parts, tissue cultures, embryo, ova, semen, spawn, colonies, cultures, cell lines, genes and DNA based sequences etc, that are held in a repository or collected from wild as the case may be and are utilized in research, genetic studies or breeding programmes for improvement of relevant agricultural — biodiversity component.

"Intellectual Property Rights" refer to inventions, new products, processes derived from use of genetic resources.

"Genetic Resources" means any genetic material of actual or potential value.

"Product" means genetic resource that incorporates the material provided under the MTA or any of its genetic parts or components that are ready for commercialization.

"To commercialize," means to sell a Product or Products for monetary benefits in the open market, and "commercialization" has a corresponding meaning.

List and Description of the GR provided under this Material Transfer Agreement

1.	Type of the Genetic Resource (plant/ animal/fish/microbe/insect etc.,):
2.	Common name and Scientific name:
3.	Type of propagule (depending on the type of resource):
4.	Number of accessions:
5.	Details of the accessions:
6.	Quantity required (per accession/per sample):
7.	Purpose (screening/ breeding/ evaluation/ augmentation/ multiplication/ others (please
	specify).
8.	Enclose a copy of approval of NBA (if applicable):
Recipi	ent's Signature Date